

14.02.18

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। यह स्थानांतरण प्रार्थना पत्र जिले पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगा कर पेश किया है, इस पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है। अतः यह स्थानांतरण प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है। इस कारण चालने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ प्रशासन की पत्रावली निर्गम को उन्नि के साथ गिजगई जाने। पत्रावली फंसल शुद्ध होकर बाद तकनीक दायित्व दफ्तर हो।

3/2/18
जिला कलेक्टर
कशी